न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 07/2017

अपीलान्ट्स :–

1. मादा पुत्र भीमाजी,
2. बाबु पुत्र भीमाजी,

जातियान माली, निवासीगण जालोर, तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. पेपाराम पुत्र हीराजी माली
2. गणपतलाल पुत्र हीराजी माली
3. अशोक कुमार पुत्र उमाजी माली
4. ज्योत्सिमी पुत्री उमाजी माली
5. जसा पुत्र भीमाजी माली

निवासीगण जालोर, तहसील व जिला जालोर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भंवरलाल खवास व श्री संजय कुमार विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री हरसन, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स 3 व 4 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

:– निर्णय :–

दिनांक :– 10-08-2021

अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2014 बअनवान पेपाराम बनाम अशोक कुमार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया, वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह अपील अपीलान्ट/प्रतिवादीगण मादा व बाबु द्वारा रेस्पोडेन्ट्/वादीगण पेपाराम वगैरा के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30/06/2016 राजस्व वाद संख्या 45/2014 पेपाराम वगैरा बनाम अशोक कुमार वगैरा में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30/06/2016 जिसके द्वारा उक्त बंटवाडा वाद में निर्णय पारित किया गया के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा कास्त खातेदारी आराजी जालोर ए के खसरा नम्बर 626 लगायत 629 कुल रकबा 4.13 हैक्टर किस्म बाराली सोयम कुल लगान 12.39 रूपये की स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 8/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/45 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी 4 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा हक खातेदारी निहित है और इसी प्रकार मौजा जालोर–बी के खसरा नम्बर 3802 से लगायत 3818 कुल रकबा 9.66 हैक्टर मे वादी संख्या 1 व 2 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 8/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा हक खातेदारी निहित है। और उसी अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से कास्त करते है उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी का मौके पर भौतिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद संख्या 45/2014 अधिनस्थ सहायक कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें बाद तलबी के सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/06/2016 को उक्त वाद का निपटारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प लेटा के मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विवादित भूमि का बंटवाडा करने हेतु अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिसकी पालना में तहसीलदार जालोर द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भूमि का बंटवाडा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु हल्का पटवारी को आदेश जारी किया गया और यदि उक्त प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हो तो फिर इस अवस्था में स्थगन आदेश की पालना करने हेतु भी निर्देशित किया गया।अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30/06/2016 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध स्थगन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31/03/2017 को जारी किया गया था और इसलिए राजस्व रेकर्ड में उक्त प्रस्तावित बंटवाडा का अमल दरामद नही किया गया।

इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की तलबी की जाकर दोनो पक्षो की ओर से अधिवक्तागण हाजिर हुये मगर उसके बाद दिनांक 10/08/2021 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 के वकील हाजिर आये इसके अलावा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर नही होने से अपीलान्ट्स की एकतरफा बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील अपीलान्ट्स का बहस में निवेदन है कि उक्त राजस्व केम्प दिनांक 30/06/2016 को अपीलान्ट मादाराम हाजिर नही थे और न कोई राजस्व अदालत केम्प लेटा पर सुनवाई बाबत् कोई सूचना नोटिस ही तामिल करवाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट्स की बिना सुनवाई तथा बिना सहमति उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित किये और तहसीलदार द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्रस्तावित बंटवाडा के वक्त भी हाजिर नही था और बंटवाडा में वादी/रेस्पोडेन्ट को मौके पर अच्छी भूमि का बंटवाडा वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रस्तावित किया है जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को कम उपजाउ एवं कम कीमती भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित किया गया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा यह भी बहस की गई कि मौके पर पूर्व से ही सभी के बीच आपसी सहमति अनुसार बंटवाडा एवं कब्जा कास्त है तथा मौके पर रहवासीय मकानात भी बने हुये है उस अनुसार मौके पर बंटवाड़ा प्रस्तावित नही कर अलग अलग मनमाने रूप से किया गया है जो पुनः वर्तमान मौका स्थिति अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस पर मनन किया गया यह सही है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री राजस्व केम्प में तत्समय हाजिर पक्षकारान की उपस्थिति में पारित किया गया है परन्तु यह प्रकट नही हो रहा है कि वाद के सभी पक्षकार वक्त निर्णय एवं डिक्री हाजिर थे अथवा नही। सामान्यतः प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारो को सुनवाई एवं सहमति अनुसार ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर भूमि का बंटवाडा मौका स्थिति अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स हेतु निर्णय एवं डिक्री पारित की जानी चाहिए।

अतः हमारी राय में सभी पक्षकारान को पुनः सुना जाकर उनकी सहमति अनुसार एवं मौके पर काबिज कास्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है ।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30/06/2016 एवं डिक्री दिनांक 21/07/2016 को निरस्त किया जाता है एवं पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान की पुनः सुनवाई एवं सहमति अनुसार पुनः बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भूमि का बंटवाडा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये नये सिरे से निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10-8-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
10/8/2021